बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संख्या–प्र02/ल0ज0सं0/बजट/यात्रा व्यय-15/2026-174 /पटना, दिनांक-13/7/26

प्रेषक,

राजीव कुमार झा
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता (मु0) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

E-Mail कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा ।

विषय–वित्तीय वर्ष-2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत यात्रा व्यय मद् में CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष-2026-27 में लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत उपबंधित राशि का यात्रा व्यय मद् में निम्न कार्यालयों के सामने अंकित **कुल-3.10 लाख (तीन लाख दस हजार) रूपये मात्र** का आवंटन निर्गत किया जाता है:-

(राशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्यालय का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	अधीक्षण अभियंता (मु0) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना	0.00	1.00	1.00
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा	0.00	2.10	2.10
	योगः-	**0.00**	**3.10**	**3.10**

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

I.	अनुदान माँग संख्या–	:	50
II.	मुख्य शीर्ष–	:	2702-लघु सिंचाई
III.	उप मुख्य शीर्ष–	:	02-भू-जल
IV.	लघु शीर्ष–	:	005-अन्वेषण
V.	उप शीर्ष–	:	0001-सर्वेक्षण एवं जाँच
VI.	विपत्र कोड–	:	***50-2702020050001***
VII.	विस्तृत शीर्ष/ विषय शीर्ष-		11.01-यात्रा व्यय

3. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है। किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाय ।
4. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ।
5. आवंटित राशि से बकाया का भुगतान नियमानुसार वास्तव में देय होने पर ही किया जाय। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी ।

6. आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी ।
7. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।
8. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी ।
9. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- 174 *⁄पटना, दिनांक-* 13/7/26

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- 17 *⁄पटना, दिनांक-* 13/7/26

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना /सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/अभियंता प्रमुख/ संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अपर सचिव/उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

D:\BUDGET-2026\2702MINP 7 J & O.DOC